न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 92 / 2021 अपील / प्रतापगढ़ (GCMS 2021/101)
पंजीयन दिनांक– 18.02.2021
निर्णय दिनांक– 29.09.2021

1. श्री पर्वतसिंह पिता बापूसिंह राजपूत, निवासी रिछा, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़।
2. श्रीमती विष्णुकुंवर पति पर्वतसिंह राजपूत, निवासी रिछा, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री छगनलाल पिता नानूराम गायरी, निवासी रिछा, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़।
2. मू. देवकुंवर पति छगनलाल गायरी, निवासी रिछा, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़।
3. तहसीलदार, अरनोद, जिला प्रतापगढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री ऋषभ मेघवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 04 / 2016
प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 29.12.2016

निर्णय

दिनांक 29.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर,

प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 04/2016 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 29.12.2016 के विरूद्ध दिनांक 20.01.2017 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जेठियाखेडी, पटवार हल्का बेडमा, तहसील अरनोद की आराजी संख्या 262/189 रकबा 0.28 हैक्टेयर है जिस पर अपीलांट 40 वर्षो से निर्विवाद रूप से भुगत भोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजी पूर्व में बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड स्थित थी जिस कारण से अपीलांट्स को सरकार की तरफ से 91(3) व 91(6) के अधीन समय–समय पर नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिसों में वर्ष 2010, 2011 में अपीलांट्स के कब्जे में 0.285 हैक्टेयर भूमि दर्शाई गई है, जिसकी निर्धारित पेनल्टी राशि अपीलांट्स ने जमा कराई है तथा कब्जे के आधार पर दिनांक 04.03.2013 को उक्त आराजी में से 0.20 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जबकि अपीलांट्स को 0.28 हैक्टेयर भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी। उक्त आराजी में से शेष 0.08 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने पटवारी से मिलीभगत से झुठे तथ्य के आधार पर आवंटित करवा ली। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट्स की उक्त आराजी पर आकर धमकी दी कि उक्त आराजी में से 0.08 हैक्टेयर आराजी हमारे नाम पर है। अपीलांट्स को इस बात की जानकारी होने पर पटवारी बेडमा से जाकर रेकार्ड

देखा तो यह आराजी संख्या 262/189 में से 0.08 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम पर आवंटित हुई है, जो सरासर गलत है क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। अतः उपरोक्तानुसार आराजी संख्या 262/189 रकबा 0.08 हैक्टेयर का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का निरस्त कर प्रार्थीगण के खाते दर्ज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 04/2016 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 29.12.2016 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.12.2016 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– "प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत *प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों व कमीश्नरी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त से यह स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.03.2013 को प्रार्थी पर्वतसिंह पुत्र बालुसिंह एवं श्रीमती विष्णुकुंवर पत्नि पर्वतसिंह को आराजी संख्या 262/189 रकबा 0.20 हैक्टेयर आवंटन की गई तथा अप्रार्थी छगनलाल पुत्र नानूराम गायरी एवं श्रीमती देवकुंवर पत्नि छगनलाल को उक्त आराजी का शेष रकबा 0.08 हैक्टेयर आवंटित की गई। नायब तहसीलदार, अरनोद से प्राप्त कमीश्नरी रिपोर्ट में अप्रार्थीगणों को आवंटित भूमि पर कब्जा नही होना दर्शाया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा आवंटन विरूद्ध अप्रार्थी की भूमि रकबा 0.08 हैक्टेयर पर अतिक्रमण कर कब्जा काश्त किया जा रहा है जो नियमाविरूद्ध है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, अरनोद को निर्देशित किया जाता है कि स्वयं मौके पर जाकर जांच करे एवं यदि आवंटन के अलावा प्रार्थी/विपक्षी का अतिक्रमण आता है तो आवंटन निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। "*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ मेघवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 22.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का आराजी संख्या 262/189 रकबा 0.08 हैक्टेयर पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही वर्तमान समय में है। लगभग 40 वर्षो से 0.28 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है जिसकी ताईद कमीश्नरी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। अपीलांट का कब्जा काश्त है जिस पर फसल बोते व लेते चले आ रहे है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट्स के नाम पर खाता संख्या 25 सिंचित रकबा 0.43 हैक्टेयर तथा परिवार सदस्यों के नाम पर 0.48 हैक्टेयर कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर तथा माता पिता व अन्य पर खाता संख्या 33 रकबा सिंचित 0.50 हैक्टेयर रकबा 1.43 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर तथा अन्य हिस्सा शामलाती 0.50 हैक्टेयर कुल रकबा 2.43 हैक्टेयर एवं 0.96 शामलाती खाते से अपीलांट्स के हिस्से में दर्ज है इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के 3.39 हैक्टेयर भूमि रेकार्ड दर्ज है जो कि आवंटन हेतु पात्र नही है फिर भी पटवारी ने दिनांक 06.02.2013 को अपनी मिथ्या रिपोर्ट भू–आवंटन सलाहकार समिति को पेश की है वह नियम विरूद्ध की है और मिलीभगत के आधार पर रेस्पोडेंट को आवंटन की सिफारीश की है जो गलत है व अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नही किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि उक्त वर्णित आराजी पर रेस्पोडेंट्स अपने बाप दादा के समय से काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी उक्त आराजी पर रेस्पोडेंट्स काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उक्त आराजी में से रेसपोडेंट्स के आवेदन पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर 0.08 हैक्टेयर भूमि आवंटित की है। रेस्पोडेंट्स का आवेदन आराजी नम्बर 262/189 रकबा 0.28 हैक्टेयर हेतु प्रस्तुत किया गया क्योंकि उक्त संपूर्ण आराजी कब्जे काश्त में निर्विवाद रूप से चली आ रही थी। लेकिन अपीलांट द्वारा गलत जानकारी देकर उक्त आराजी में से 0.20 हैक्टेयर भूमि अपने नाम आवंटित करा ली है जो गलत क्योंकि वर्तमान में आराजी पर रेस्पोडेंट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स को आराजी नम्बर 262/189 पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे काश्त में होने की जानकारी थी फिर भी अपीलांट ने आवंटन अधिकारी को गलत जानकारी देकर अपने नाम भूमि आवंटित करवाई है, जो गलत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 29.12.2016 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोंडेण्ट को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने के लिए आवेदन पेश कर यह वर्णित किया कि विवादित आराजी नं. 262/189 रकबा 0.28 हैक्टेयर था जिसमें से वर्ष 2010 एवं 2011 में प्रार्थी के कब्जे में 0.28 हैक्टे. भूमि दर्शायी गयी व इसके उन्हें नाजायज कब्जे का नोटिस मिला परन्तु दिनांक 04.03.2013 को उक्त

भूमि के नाजायज कब्जे आधार पर 0.20 हैक्टै. भूमि आवंटित की गयी जबकि 0.28 हैक्टेयर आवंटित की जानी चाहिये थी। उक्त आराजी में से शेष 0.08 हैक्टे. भूमि आराजी का आवंटन रेस्पोंडेण्ट को त्रुटिपूर्ण रूप से कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आख्यापक विवेचन के साथ अपीलाण्ट का आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किया है जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रमुख अपील आधार जो लिये गये हैं वे अधीनस्थ न्यायालय के आधारों के अनुसार ही लिये गये हैं तथा यह बताया गया है कि लगभग 40 वर्ष से विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबे 0.28 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट का ही कब्जा था, जबकि उन्हें 0. 20 हैक्टे. भूमि का ही आवंटन किया गया व शेष 0.08 हैक्टे. भूमि का आवंटन रेस्पोंडेण्ट को कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी में से 0.20 हैक्टे. के आवंटन का ही आवेदन किया एवं भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उन्हें 0.20 हैक्टेयर भूमि का ही आवंटन किया गया तथा उन्हें कब्जा भी 0.20 हैक्टे. भूमि का ही प्राप्त हुआ। आश्चर्यजनक रूप से अपीलाण्ट स्वयं जब 0.20 हैक्टेयर भूमि का ही आवेदन करता है एवं उसे 0.20 हैक्टे. भूमि भू–आवंटन सलाहकार समिति आवंटन करती है व कब्जा भी 0. 20 हैक्टे. भूमि का ही प्राप्त करता है तो अब वह उक्त आराजी में से 0.08 हैक्टे0 भूमि का दावा/क्लेम किस प्रकार कर सकता है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि रेस्पोंडेण्ट आवंटी द्वारा उक्त भूमि में से 0.08 हैक्टे. का आवेदन किया गया था जिस पर 0.08 हैक्टे0 भूमि ही आवंटित हुई व 0.80 हैक्टे. का ही कब्जा दिया गया। जहां तक सम्पूर्ण भूमि 0.28 हैक्टे. का प्रश्न है, यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010 एवं 2011 में विवादित आराजी में 0.28 हैक्टे. पर उनका नाजायज कब्जा रहा है व वर्ष 2012 के नाजायज कब्जे के नोटिस को देखा जाए तो विवादित भूमि के 0.18 हैक्टे. पर ही उनके

नाजायज कब्जे का नोटिस दिया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि 2010, 2011 में 0.28 हैक्टै. भूमि पर नाजायज कब्जा था व वर्ष 2012 में 0.18 हैक्टे. भूमि पर ही उनका कब्जा रहा है। नाजायज कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का आवंटन अतिक्रमी को किया जाना आवंटन सलाहकार समिति के लिए बाध्यकारी नहीं है एवं इस प्रकरण में आश्चर्यजनक रूप से अपीलाण्ट स्वयं जब विवादित भूमि से 0.20 हैक्टे. भूमि का ही आवंटन हेतु आवेदन किया एवं उसके आवेदन अनुसार ही उसे भूमि आवंटित कर दी गयी थी तो अवशेष भूमि पर उसका क्लेम/दावा विधिक रूप से मान्य नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा अपील की कलम संख्या 3 में यह तथ्य भी वर्णित किया है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 के खाते में 3.39 हैक्टे. भूमि रेकर्ड में दर्ज है एवं वे आवंटन के पात्र नहीं है। अपीलाण्ट का यह कथन भी समायत योग्य नहीं है क्योंकि रेस्पोंडेण्ट को 0.08 हैक्टे. भूमि आवंटित हुई व बकौल अपीलाण्ट रेस्पोंडेण्ट के खाते की 3.39 हैक्टे. भूमि मान भी ली जाये तो आवंटन की जानी वाली भूमि को मिलाते हुए उनके पास 3.47 हैक्टे. भूमि बनती है जो 4 हैक्टे. से कम होती है, तद्नुसार आवंटी रेस्पोंडेण्ट को भूमिहीन की परिभाषा में ही माना जाएगा। अपीलाण्ट का अन्य कथन यह है कि रेस्पोंडेण्ट अभी भी गैर खातेदारी दर्ज है तो उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं तथा भौतिक रूप से उनका कोई कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट का यह उज्र भी मान्य नहीं है क्योंकि विवादित भूमि पर वर्तमान में अपीलाण्ट का कब्जा होने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा आवंटी रेस्पोंडेण्ट यदि गैर खातेदारी भी दर्ज है तो भी वह विधिक आवंटी है तथा विधिक आवंटी की तुलना में यदि अपीलाण्ट अतिक्रमी के रूप में काबिज भी है तो भी विधिक आवंटी की तुलना में उन्हें विधिपूर्ण आवंटन को निरस्त करवाये जाने के लिए अधिकृत नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके द्वारा उक्त आवंटन में कोई **Froud and Misrepresentation** होना प्रमाणित नहीं करवाया है, न ही आवंटी

रेस्पोंडेण्ट की अपात्रता को प्रमाणित किया है, न ही आवंटन की शर्तों की उल्लंघन बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है।

उपरोक्त समग्र परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का रेस्पोंडेण्ट आवंटी को किये गये आवंटन निरस्तीकरण के आवेदन को निरस्त करने के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर